



क्या वीरभद्र परिवार को सीबीआई और ईडी मामलों में राहत मिल पायेगी

शिमला/जैल। ईडी में वीरभद्र परिवार के एल आई सी ऐजेंट आनन्द चौहान की लगातार चल रही गिरफ्तारी और 9 अगस्त को प्रतिभा सिंह तथा 12 अगस्त को इन्हीं के आयकर के वकील चन्द्रशेखर के जांच एजेंसी के सामने पेश होने के बाद यह सवाल चर्चा में चल रहा है कि क्या इन मामलों में इस परिवार को राहत मिल पायेगी। किसी भी मामले में दर्ज एफआईआर यदि रद्द हो जाती है या उसमें जांच के बाद 'कुछ भी नहीं पाया गया' की रिपोर्ट अदालत में दायर नहीं हो जाती है तो ऐसे मामलों में राहत की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। वीरभद्र परिवार दोनों मामलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी संभावित गिरफ्तारी पर स्थायी रोक लगाये जाने की लगातार गुहार लगा रहा है लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है।

स्मरणीय है कि सीबीआई ने 23.9.2015 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और वीरभद्र के आवास पर छापा मारी की थी। सीबीआई के इस कदम को हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और जर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगायी गयी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकारते हुए 11.02.2015 को इसमें सीबीआई को निर्देश जारी करते हुए इसकी जांच जारी रखने लेकिन अभियुक्तों के ब्यान दर्ज करने या अदालत में चालान दायर करने के लिये उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की शर्त लगा दी। हिमाचल उच्च न्यायालय को इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने हुए सीबीआई ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का आग्रह कर दिया। सीबीआई के आग्रह को स्वीकारते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 5.11.2015 को मामला दिल्ली उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया। मामला ट्रांसफर होने के बाद सीबीआई ने हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को रद्द करने की गुहार दिल्ली उच्च न्यायालय से लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए प्राथमिकता से पूछताछ की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद वीरभद्र सीबीआई में पेश हुए हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिखा है कि Now the situation has changed as statements of some of the witnesses been recorded under Section 164 Cr.

P.C. and some stamp papers have also been recovered which create suspicion on the genuineness of MOU dated 15.06.2008.

दूसरी ओर सीबीआई की एफआईआर के बाद 27.10.2015 को ईडी ने इसी आधार पर मनी लॉडरिंग का मामला दर्ज कर लिया। ईडी ने भी कई स्थानों पर छापा मारी की है। ईडी ने उसके बाद वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को अपना पक्ष रखने के लिये कई बार बुलाया और नहीं आने के बाद 23.3.2016 को परिवार की करीब आठ करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली। इस अटैचमेंट में अपराजिता कुमारी के 15,85,639 तथा विक्रमादित्य के 62,86,746 रुपये हैं। ईडी की इस कारवाई को अपराजिता और विक्रमादित्य ने CWP 3008/16 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। 6 अप्रैल को सुनवाई के लिये आए इस मामले पर 12 अप्रैल को ईडी के एडजुडिकेटिंग आथॉरिटी के पास मनीलॉडरिंग एक्ट की धारा 5(5) के तहत शिकायत दायर कर दी। जिसे CM NO 12627/16 के तहत चुनौती दी गयी और उच्च न्यायालय ने अटैचमेंट आदेश को जारी रखते हुए इस पर अगली कारवाई के लिये रोक लगा दी। इसी बीच ईडी ने आनन्द चौहान को आठ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने अदालत से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा दी। अदालत ने इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगायी है। ईडी ने प्रतिभा सिंह को 28 जुलाई को पेश होने का नोटिस भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुई। 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिये लगा था। इस दिन प्रतिभा सिंह ने 9 अगस्त को ईडी जांच में पेश होने और जांच में सहयोग देने का अनुग्रह अदालत में रखा।

इस पर प्रतिभा सिंह 9 अगस्त को जांच में शामिल हुईं। जांच में शामिल होने के बाद की गयी अगली कारवाई को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में रखी जायेगी। आईर में लिखा है कि Status report shall be filed regard to the further investigation carried out by the respondent before the next date. अगली तारीख 24 अगस्त है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 24 अगस्त तक ईडी अगली जांच को भी अजाम देगा। ईडी ने 10-11 और बारह अगस्त

को कुछ लोगों को बुला रखा था। जिसमें चुन्नी लाल और चन्द्रशेखर भी थे। सीबीआई के संदर्भ में 6 अप्रैल को अदालत में आ चुका है कि कुछ गवाहों के 164CrPC के तहत ब्यान हो चुके हैं। स्मरणीय है कि चुन्नी लाल के सुनीम को सीबीआई ने पकड़ा था और उसके ब्यान करवा लिये गये थे। 8 जुलाई को आनन्द चौहान के साथ चुन्नी लाल को भी पकड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक चुन्नी लाल भी ब्यान दे चुका है क्योंकि सुनीम के ब्यान के बाद उसके पास कोई और विकल्प शेष नहीं था। अब इस मामले में मेघराज, कनुप्रिया, स्टाप पेपर विक्रेता और चन्द्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इन सब की भूमिका सेब बागीचे की आय से लेकर उनकी बिक्री तथा संगोष्ठित आयकर रिटर्नज दायर किये जाने के साथ जुड़ी हुई है। यदि बागीचे से छः करोड़ का सेब होना प्रमाणित नहीं होता है तो यह सब मनीलॉडरिंग में अभियुक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं।

इसी तरह वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से लिये गये ऋण की स्थिति है यदि उसके पास ऋण देने की क्षमता प्रमाणित न हो सके तो यह लेवनेन भी मनीलॉडरिंग माना जायेगा। इसी ऋण

के बाद महारौली के फार्म हाऊस की खरीद हुई और गढ़वे परिवार इसमें कुछ अदायगी ब्लैक में होने की बात पहले ही स्वीकार कर चुका है। इसी के साथ ईडी में एक समय राजेन्द्र राणा के नाम से गयी शिकायत को भी जोड़े जाने की चर्चा है। भले ही राणा ऐसी शिकायत न करने का शपथ पत्र ईडी को सौंप चुके हैं। ईडी के उच्चस्थ सूत्रों की माने तो सुभाष आहलूवालिया का मामला चण्डीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद इसमें ऊना के दो वकीलों के नाम से आयी शिकायत की कड़ीयां भी इस प्रकरण से जोड़ी जा रही हैं। संभवतः इसी सब को सामने रखते हुए अदालत वीरभद्र परिवार को राहत नहीं दे पा रही है। माना जा रहा है कि 17 अगस्त को इस मामले में चन्द्रशेखर और प्रतिभा सिंह को ईडी ने फिर से बुलाया है और आनन्द चौहान के साथ

इनका आमना सामना हो सकता है। इस प्रकरण में चल रही कानूनी प्रक्रिया में जहां अभी तक मामले को सह अभियुक्त आनन्द चौहान को



जमानत नहीं मिल पा रही है वहीं मुख्य अभियुक्तों को भी संभावित गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मिल रही है और न ही जांच एजेंसीयां उनकी गिरफ्तारी का कदम उठा पा रही हैं। इस परिदृश्य में राहत की संभावनाएं भी कमजोर होती जा रही हैं।

सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स की सहयोगी विनित गैस कंपनी भी संकट के साये में

शिमला की विनित गैस कंपनी के मालिक संचालकों द्वारा नाहन में सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से चलाये जा रहे उद्योग के खिलाफ पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने 15,08,135 रुपये की बसूली के लिये डिक्री का आदेश पारित किया है। इस उद्योग के खिलाफ पंजाब के बस्सी पठाना के रैना ट्रेडर्स ने 15.6.2009 को यह मामला अदालत में दायर किया था। सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स ने रैना ट्रेडर्स को नाम 16.4.2009 को 2,25,000 और 29.4.2009 को 6,00,000 के चैक जारी किये थे। लेकिन 4.5.2009 को यह चैक खाते में पैसा न होने के कारण बिना भुगतान के वापिस हो गये। चैक वापिस होने पर सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स को लीगल

नोटिस भेजा गया। 15.5.2009 को भेजा यह नोटिस Unclaimed वापिस आ गया और परिणाम स्वरूप 15.6.2009 को इस उद्योग के खिलाफ यह मामला दायर हो गया। अब इसमें 21.5.15 को डिक्री हो गयी है और इस डिक्री पर अमल की कारवाई चल रही है। स्मरणीय है कि सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स के मालिक विनित कुमार थे और शिमला में चल रही विनित गैस कंपनी के मालिक भी वही थे। विनित की मौत के बाद सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स को बन्द कर दिया गया है। जबकि विनित गैस को उनके उत्तराधिकारी उनकी माता हेमलता पत्नी फागनी बेटा दिग्गविजय और बेटा प्रहा चला रहे हैं। लेकिन सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स की देन दारियों का भुगतान यह लोग

नहीं कर पाये हैं। इन देनदारियों के कारण ही अदालत से यह डिक्री हुई है। इस तरह की कई और देनदारियों की भी चर्चा सामने आ रही है।

सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स नाहन और विनित गैस कंपनी शिमला एक ही व्यक्ति के दो उद्योग थे। सिरमौर मिल्क प्रोडक्ट्स को बन्द करके विनित के वारिस अब तक विनित गैस कंपनी चला रहे हैं। ऐसे में जब वारिस एक उद्योग को अब तक चला रहे हैं तो क्या बन्द किये गये उद्योग की देन दारियों को अदा करने की जिम्मेदारी उन पर ही आयेगी। इस परिदृश्य में माना जा रहा है कि इस डिक्री मामले में विनित गैस कंपनी के लिये भी आने वाले दिनों में संकट खड़ा हो सकता है।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

मवनों को 'जैसे हैं, वैसे हैं' आधार पर नियमित करने को मंजूरी

शिमला/शैल। मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में शहरी एवं नगर नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2016 में संशोधन कर अध्यादेश संख्या 1/2016 को बदलकर अवैध भवनों के विचलन को नियमित करने को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता की।

आम जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के उपरांत मंत्रिमण्डल ने भवनों को 'जैसे हैं, वैसे हैं' आधार पर नियमित करने को अपनी मंजूरी दी।

भवनों को 'जैसे हैं, वैसे हैं' आधार पर 'सेट बैक' के तौर पर आवश्यक खुली जगह न छोड़ने के आधार पर भी कपाउंड किया जाएगा। पार्किंग मजिल को यदि किसी अन्य उपयोग के लिये भी परिवर्तित किया गया हो, को वैकल्पिक पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने पर नियमितकरण के लिये माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सड़क/रास्ते के साथ न लगते पार्किंग फ्लोर को यदि किसी अन्य उपयोग में परिवर्तित किया गया है, तो इन्हें भी नियमित किया जाएगा।

अध्यादेश में प्रस्तावित कपाउंडिंग शुल्क को लगभग आधा करने की बैठक में स्वीकृति दी गई। जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूल किया जाएगा। पूर्ण रूप से अवैध निर्माण के लिये ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1200 रुपये जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी।

विधेयक में संशोधित अधिनियम के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।

जिन लोगों ने पूर्व में रिटेंशन पॉलिसी का लाभ प्राप्त किया है, वे भी नियमितकरण के लिये पात्र होंगे। आवेदकों को इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा लोक निर्माण अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की नियंत्रित चौड़ाई पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। नगर निगम अथवा शहरी एवं नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों को नियमितकरण के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रिमण्डल ने उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभागों में वर्ष 1996 की नीति के अंतर्गत नियुक्त किए गए दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों- एवं-सेवादारी तथा 31 मार्च, 2016 और 30 सितम्बर, 2016 तक अंशकालीन जलवाहक- एवं-सेवादार पद पर कुल मिलाकर 17 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को नियमितकरण के उपरांत अन्य जिले में रिवत अथवा सरपल्स पदों पर तैनाती एवं समायोजन का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू उत्पादों के फुटकर विक्रेताओं के नियमितकरण के प्रावधान के लिये प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से खुली सिगरेट अथवा बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा तथा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के फुटकर व्यापार का नियमन होगा। विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा कल्याण नियम, 2016 बनाने का भी निर्णय लिया। इससे गृह रक्षक तथा उनके परिवार लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनके कल्याण के लिये निधि गृह रक्षकों से वार्षिक 120 रुपये की दर से योगदान अथवा दान के रूप में एकत्र की जाएगी। मंत्रिमण्डल ने सभी राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल प्रदान करने के लिये 8 अगस्त, 2016 को खोली गई निविदाओं के आधार पर इसकी खरीद एल-1 बोलीदाता मैसर्स सी.एस. इण्डस्ट्रीज लि. परागपुर से करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हि.प्र. नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार नगर निगम की विशेष जानकारी तथा नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले पांच व्यक्तियों को नामांकित करेगी। विधेयक में नगर निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका कानून के अंतर्गत दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जो मौजूदा समय में पर्यटन नहीं है, ताकि इसे और अधिक मजबूत अथवा कारगर बनाया जा सके। इसी प्रकार, नगर निगम एवं साथ लगे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिये पशु पालन विभाग के सहयोग से पालतू अथवा आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें और संशोधन विधि विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रिमण्डल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की कला एवं शिल्प, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, खान-पान, समकालीन कला, पारंपरिक एवं जनजातीय लोक संगीत, नृत्य, नाटक, उपन्यास, पर्यटन, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित एवं प्रचारित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में उच्चवर्गीय डिजिटल डिवाइस योजना (उदय) को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में क्रियाशील व वित्तीय कार्यन्वयन के लिए त्रिपक्षिय समझौता ज्ञानन में शामिल होने को स्वीकृति दी। इससे विद्युत दरों में

कमी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ब्याज व वित्तीय लागत में वार्षिक 68 करोड़ रुपये की कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, इसके लागू होने से वित्तीय अनुशासन के परिणामस्वरूप एचपीएसईबीएल में 400 करोड़ से अधिक वार्षिक सैद्धांतिक राशि की पुनः अदायगी में सहायता मिलेगी।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की जटिंगरी, कुल्लू जिला के बंजार के सोहजा, सिरमोर के सुकेली, सोलन जिला के बड़ी और बिलासपुर के पर्यटन स्थलों को सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीपीपी मोड पर लम्बे समय के लिए स्थलों को पट्टे पर देने के लिए पूर्व में स्वीकृत नियम एवं शर्तों के आधार पर नई निविदाएं आमंत्रित की जाएं और मामला व्यावहारिक औपचारिकताओं पर कार्य करने के लिए हि.प्र. अधोसंरचना विकास बोर्ड को सौंपा जाए।

नौकरी/पदों को भरने व सृजित करने की स्वीकृति

वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पदों को भरने की मंजूरी।

उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पदों को सृजित करने को मंजूरी। इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 30 पदों को सृजित करने को स्वीकृति। श्रम एवं रोजगार विभाग में तीन जिला रोजगार अधिकारियों के पदों को भरने की मंजूरी।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साइ) बड़े व कण्डाघाट में कनिष्ठ ड्राफ्टमैन के दो पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान। साइ में जो दैनिक भोगी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, को नियमित करने को मंजूरी।

महाविद्यालयों में अनुबन्ध आधार पर एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक तथा दो पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) भरने का निर्णय। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पद सृजित।

हिप्पा में संकाय के रूप में उप-निदेशक कोषागार का एक पद सृजित।

उद्योग विभाग के रेशम कीट इकाई में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सीलिंग डेमोनस्ट्रेटर के एक पद को भरने की स्वीकृति।

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद का सृजन।

हमीरपुर जिला के धनेड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित करने की मंजूरी।

स्वास्थ्य विभाग में शिमला जिला के नागरिक अस्पताल सुन्नी में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद को सृजित करने की स्वीकृति।

क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर डायलेसिस टैक्निशियन के एक पद की स्वीकृति प्रदान।

अन्य निर्णय
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में बहुदेशीय

कार्यकर्ताओं के कैंडर को 50 से 158 करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में मानदेय आधार पर अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पोषण परामर्शक की नियुक्ति व चयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय।

मण्डी जिला में मोहाल तारना और जेल रोड स्थल में सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर के लिए भूमि उपयोग और सेटबैक में छूट, भवनों की ऊंचाई व नियमों में बदलाव की मंजूरी का निर्णय। इसी प्रकार मण्डी योजना क्षेत्र के मोहाल चडियारा में कृषि उपयोग भूमि को सेवाएं एवं आवासीय उपयोग के लिए सुविधा पहुंचाने, अभिज्ञान केन्द्र में आवासीय खण्ड का निर्माण व बचाव टावर स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी।

लोक निर्माण विभाग में नाबाई व केन्द्रीय सड़क निधि के तहत हो रहे कार्य के निरीक्षण के लिए 10 गुणवत्ता अनुश्रवणकों को शामिल करने की मंजूरी।

नादौन में तहसील कार्यालय परिसर को गिराने का निर्णय ताकि मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य किया जा सके।

घुमारखी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने को मंजूरी।

कांगड़ा जिला के देहरा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय विस्तार को मंजूरी प्रदान।

भारत सरकार को गृह मामले विभाग के गुप्तचर ब्यूरो के लिए कांगड़ा जिला के नूपुर के मोहाल लगेर में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कृष्णा नगर शिमला में भवनों के निर्माण को मंजूरी।

राजीव गांधी डिजिटल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मेधावी छात्राओं को वितरित करने के लिए 10 हजार लेटपैड की खरीद का निर्णय। मंत्रिमण्डल ने सुन्दरनगर योजना क्षेत्र में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।

स्वास्थ्य संबंधित मामले
मंत्रिमण्डल ने सिरमोर जिला के नाहन स्थित डा. यशवन्त सिंह परमार मेडिकल कालेज के लिए आरक्षण नीति व शुल्क ढांचे तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने को मंजूरी प्रदान की।

उप तहसील ननखड़ी के देलठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति।

कांगड़ा जिला के दियोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी। ऊना जिला के छदोली में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा इसके लिये दो पद सृजित करने को मंजूरी।

शिमला जिला के वियोठी तथा ऊना जिला के छरू पशु औषधालयों को आवश्यक स्टॉफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी।

संशोधन एवं नियम
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (बिजनेस एवं प्रसिद्धि) नियम, 2004 में संशोधन करने का निर्णय।

शहरी रेहड़ी-फडी वालों के अधिकारों के संरक्षण और स्टीट वैडिंग गतिविधियों के संचालन लिए रेहड़ी-फडी वालों (आजीविका संरक्षण एवं रेहड़ी-फडी) अधिनियम, 2014 के तहत नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT				
e-Procurement Notice				
INVITATION FOR BIDS(IFB)				
The Executive Engineer HPWPD B&R division Kumsarsan H.P. on behalf of Governor of H.P. invited the online bids on item rate, in electronic tendering system in 2 cover system for the under mentioned work from eligible and approved contractors/firms registered with HPWPD department.				
Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Stipulated Time Period
1.	Annual Surfacing on Narkanda Thanedhar Kotgrah Bithal Road Km 0/000 to 44/000 (MDR) (SH-Renewal Coat 25mm thick Bituminous Concrete in km 5/000 to 7/000).	Rs.14,85,796/-	Rs. 29,800/-	500/- Three Months.
2. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in . bidder would be register in the website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA). Aspiring bidders who have not obtained their ID and password for participating in e-tendering in HPWPD may obtain the same from the website: http://hptenders.gov.in . In Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.				
3. Key Dates:				
1.	Date of Online Publication :	18.08.2016	1700 Hrs.	
2.	Document Download Start and End Date :	18.08.2016	1730 Hrs. upto 07.09.2016 1800Hrs.	
3.	Bid Submission Start and End Date :	18.08.2016	1730 Hrs. upto 07.09.2016 1800Hrs.	
4.	Physical Submission of EMD and Cost of Tender Documents.	08.09.2016	upto 10:30 Hrs.	
5.	Date of opening of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	08.09.2016	at 11:00 Hrs.	
4. Tender Details:-				
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.				
i) Cover-1 Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information" item.				
ii) Cover-2 Shall contain BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.				
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS:- The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the Office of the undersigned as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bid will be declared non-responsive.				
6. BID OPENING DETAILS:- The bids shall be opened on 08.09.2016 at 11:00 HRS in the office of the undersigned by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.				
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.				
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bids updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidder's responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.				
Adv. No.-1842/16-17		HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK		

शैल समाचार

संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी

सुशील

रजनीश शर्मा

भारती शर्मा

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सुरेन्द्र ठाकुर

रिना

नड्डा-वीरभद्र मुलाकात राजनीतिक संदेश देने की कोशिश

शिमला/शैल। मनी लाइंग मामले में इडी की ओर से की गई पूछताछ के पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह अपने पति व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह संग वापस शिमला लौट आई हैं। शिमला लौटने से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री व हिमाचल भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को राजनीतिक दुश्मन जगत प्रकाश नड्डा से मिलकर आए हैं। ऐसे मौके पर वीरभद्र व नड्डा की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नड्डा हिमाचल में धूमल को आगामी मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ कर खुद मुख्यमंत्री की रेस में आगे हो गए

अरेस्ट नहीं किया गया, ऐसे में आगे संभवतः कोई बड़ा खतरा नहीं है। अगर उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता तो मुश्किलें बढ़ सकती थीं। बहरहाल अब प्रतिभा सिंह वापस शिमला लौट आई हैं। 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। समझा जा रहा है कि इस सत्र में भाजपा मनी लाइंग मामले में शायद ही कोई जबरदस्त हमला बोले। अगर उन्होंने हमला बोला तो ये मोदी सरकार पर हमला हो जाएगा। समझा जा रहा है कि बीजेपी का एक धड़ा तीखा हमला करने से बचेगा। मोदी सरकार में मंत्री नड्डा से वीरभद्र सिंह की

की राजनीति से आजिज आ चुका है। धूमल से नाराजगी के चलते भाजपा से बागी हुए हिलोपा के महेश्वर सिंह समेत कई बड़े नेता घर वापसी की तरकीबें तलाश रहे हैं और ये घर वापस आकर धूमल को ठिकाने लगाने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर वीरभद्र धूमल को उन्हीं की पार्टी के नेताओं से ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। वो नड्डा को भाजपा में मजबूत कराने के लिए कई स्तरों पर काम भी कर रहे हैं। चाहे एम्स का मामला हो या एनएच के मुद्दे। वीरभद्र सिंह इसके लिए नड्डा को श्रेय देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। धूमल व उनके बेटे को वो सार्वजनिक तौर पर कोई श्रेय नहीं दे रहे हैं। धूमल के भाजपा में बड़े राजनीतिक शत्रु शांता कुमार की भी वीरभद्र सिंह एक अरसे से खूब वाहवाही कर रहे हैं। धूमल को ठिकाने लगाने के लिए शांता कुमार भी नड्डा को स्पॉट करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नड्डा से वीरभद्र सिंह की मुलाकात के कई राजनीतिक मूक संदेश देने की कोशिश हो रही है।

उधर, प्रतिभा सिंह का इडी की पूछताछ के दौरान अरेस्ट न होना धूमल खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है व वीरभद्र सिंह व उनके मैनेजर्स की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। भाजपाइयों में ये संदेश जा रहा है कि धूमल व उनके बेटों का मोदी पर तो जोर पहले भी नहीं चलता था अब जेटली की उनसे काबू नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस व भाजपा की राजनीति दिलचस्प हो गई है व असल नजारा 2017 के विधानसभा चुनावों में सामने दिखेगा। लेकिन झलक नजर आनी शुरू हो गई है।



है। आलाकमान में भी उनके नाम को करीब-करीब हरी झंडी दी हुई है। उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस बारे अभियान भी छेड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि इन समर्थकों को नड्डा से जरूर आंख मिले होंगे।

इडी की ओर से प्रतिभा सिंह से पूछताछ करने के बाद इस केस की गंभीरता कम हो गई है। वीरभद्र समर्थकों का मानना है कि चूंकि उन्हें

मुलाकात में क्या पका इसका इजहार धूमल विरोधी एमएलए मानसून सत्र में विधानसभा कर जाएंगे। संभवतः तब तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।

नड्डा भाजपा की ओर से हिमाचल के आगामी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो ये भाजपा से ज्यादा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सूट करता है। दोनों में पुरानी यारी भी है। इसके अलावा भाजपा व धूमल विरोधी खेमा भी धूमल परिवार

राज्य के स्वास्थ्य मानक देशभर में अबलःकौल सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य आयोग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य लोक केन्द्रित एवं सतत स्वास्थ्य प्रणाली विकसित कर इसमें

के 15 लाख किशोरों की स्वास्थ्य जरूरतों पर विशेष बल दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किशोर हमारी जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी उर्जा का सकारात्मक कार्यों में व सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि राज्य में 40 प्रतिशत किशोर किसी न किसी कारण से कुपोषण के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश में फरवरी, 2014 को आरम्भ किया गया था, जिसने स्वास्थ्य देवभाल विशेषकर, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मादक द्रव्य, लिंग आधारित हिंसा व गैर संचारी बीमारियों के निदान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से युवाओं में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बारे जागरूकता पैदा हुई है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को उनके स्वास्थ्य एवं उनकी भलाई से जुड़े उत्तरदायी निर्णयों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आकेएस के कार्यक्रम के सभी घटकों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रही है। प्रदेश में 97 प्रतिशत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की गोलिएं प्रदान की गई हैं, और प्रदेश में युवा परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी स्कूलों में किशोरों को आईएफए गोलिएं उपलब्ध करवाई गई हैं तथा 4.74 करोड़ गोलिएं का प्रापण व वितरण किया गया है।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लोगों को उनके घरदार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने

प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विस्तार पर संक्षिप्त ब्योरा देते हुए कहा कि प्रदेश में 3716 लोगों पर एक चिकित्सक सेवारत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 12391 लोगों पर एक चिकित्सक है। इसी प्रकार एक स्टॉफ नर्स प्रदेश में 3460 लोगों को राष्ट्रीय औसत 20701 लोगों के मुकाबले में सेवारत है। प्रदेश की शिशु मृत्यु दर देश के 41 के मुकाबले 32 प्रतिशत है और देश के 2.4 के मुकाबले प्रदेश में जन्म दर 1.6 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी रक्त बैंकों का कम्प्यूटीकरण किया गया है और सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की उपलब्धता संबंधी जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 33 रक्त भण्डारण इकाइयां भी स्थापित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरदराज व जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के काजा व केलांग में अपोलो हेल्थ केयर के माध्यम से वर्ष 2015 में टेली-मेडिसिन परियोजना आरम्भ की थी, जिसके माध्यम से 4365 ग्रामीणों को टेली परामर्श प्रदान किया गया, जिनमें से 288 मरीजों को आपातकाल में यह सेवा प्रदान की गई। इसी प्रकार की अन्य परियोजना 25 जनजातीय स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें चम्बा, सिरमौर व शिमला जिले शामिल हैं, में 'पीरामल स्वास्थ्य' के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, मण्डि तथा सोलन में पीपीपी आधार पर डायलेसिस केंद्र कार्य कर रहे हैं, जहां 7000 डायलेसिस किए गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ये सुविधाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी।



व्यापक जन स्वास्थ्य कार्यों को सम्मिलित कर राज्य को अगले एक दशक में देश की स्वास्थ्य राजधानी के तौर पर विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में लोक स्वास्थ्य स्कूल स्थापित किया गया है।

यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा। कार्यशाला में सात राज्य क्रमशः पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, चण्डीगढ़ तथा उत्तराखंड के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आयु वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरा करने के लिए प्रयासरत है, और विशेषकर राज्य की कुल आबादी

नितिन गडकरी का हमीरपुर में 25 नेशनल हाइवे मंजूर करने पर धन्यवाद

शिमला/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक रवि रवि रणधीर शर्मा दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 25 नए नेशनल

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रविन्द्र रवि और रणधीर शर्मा के साथ मंत्री नितिन गडकरी 56 एन एच हिमाचल प्रदेश को मंजूर करने के लिए उनका धन्यवाद किया। इन 56



हाइवे मंजूर करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने इन हाइवे को चरणबद्ध और समय सीमा के अंदर पूरा करने के विषय में भी मंत्री से चर्चा की।

मई-जून में नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 3993 किलोमीटर लंबाई के 56 नए एन एच घोषित किये थे।

एन एच में से 26 हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। इस परियोजना को समयबद्ध सीमा में कैसे पूरा किया जाये इस विषय पर नितिन गडकरी से चर्चा की। नए नेशनल हाइवे से जहां प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

कृषि विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी गठित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कृषि विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रदर्शन एवं जवाबदेही के मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है।

उन्होंने कहा कि समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और समिति के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कार्मिक), कृषि विभाग के निदेशक तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

के निदेशक सदस्य होंगे, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार एवं प्रधान सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य तथा सचिव प्रशासनिक सुधार सदस्य सचिव होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि समिति कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन, संगठनात्मक सुधारों, नवीन परियोजनाओं, योजनाओं व प्रदेश सरकार की विशेष पहलों के अतिरिक्त आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटीकरण की समीक्षा करेगी।

दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित

शिमला/शैल। होटल प्रबन्धन खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, कुफरी में हाल ही में संस्थान में सात दिवसीय हाऊस कीपिंग पाठ्यक्रम पूरा करने वाले दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

होटल प्रबन्धन खान-पान एवं पोषाहार संस्थान द्वारा 21 मूक एवं बधिर बच्चों को हाऊस कीपिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन सभी 21 सफल प्रतिभागियों को ओबेरॉय होटल एवं रिजॉर्ट्स (वर्ल्ड फ्लावर हाल एवं सैसिल) रेडिसन शिमला, रॉयल

टयूलिप कुफरी, कुफरी हॉलीडे रिजॉर्ट एवं स्टर्लिंग रिजॉर्ट गलू में रोजगार दिलवाया गया।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक सामिले विभाग के निदेशक डा.संदीप भटनागर, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। प्रतिभागियों को होटलों का दौरा करवा कर होटल के कार्यों बारे में भी अवगत करवाया गया। यह पाठ्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था।

सरकार ने मिड-डे-मील की कुकिंग दरों में की बढ़ोतरी

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिड-डे मील योजना के तहत प्रति छात्र कुकिंग व कनवर्शन दरों में प्रथम जुलाई, 2016 से बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर (प्रथम से पांचवीं कक्षा) के लिए कुकिंग व कनवर्शन दरों को 3.86 रुपये

से बढ़ाकर 4.14 रुपये प्रति छात्र किया गया है जबकि माध्यमिक स्तर पर (छठी से आठवीं कक्षा) यह राशि 5.78 रुपये से बढ़ाकर 6.18 रुपये प्रति विद्यार्थी की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन सम्बन्धित दिशा-निर्देश सभी जिला और खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया गया है।

अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिएचाणक्य

सम्पादकीय

गोरक्षक और दलित समाज

पिछले कुछ अरसे से देश के विभिन्न भागों से गोरक्षा के नाम पर कुछ गोरक्षकों की उग्रता दलित अत्याचार के रूप में सामने आयी है। यह उग्रता इतनी बढ़ गयी कि इस पर देश की संसद में बैठे दलित सांसदों को पार्टी लाईन से ऊपर उठकर दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी है। दलित सांसदों की इस चिन्ता का संज्ञान लेते हुए प्रधान मन्त्री नरेन्द्रमोदी ने भी बढ़ते दलित अत्याचार और फर्जी गोरक्षकों की कड़े शब्दों में निंदा की है। लेकिन प्रधान मन्त्री की इस प्रतिक्रिया का विश्व हिन्दु परिषद ने खुले मन से पूरा समर्थन नहीं किया है। इसी के साथ दलित अत्याचार पर भी रोक नहीं लगी है। गोरक्षा के नाम पर गोरक्षकों की उग्रता के खिलाफ अपना रोष सुवर करते हुए दलित संगठनों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने परम्परागत कार्य को छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। आज यह समस्या एक ऐसा रूप धारण करती जा रही है कि यदि इसका समय रहते सही हल न निकला तो इसका देश को सामाजिक सौहार्द पर गहरा असर पड़ेगा।

गाय का हिन्दु धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गाय दान का हिन्दु धर्म में एक ऐसा विशेष स्थान है जिससे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। स्वाभाविक है कि जिस समाज में किसी भी पशु का ऐसा केन्द्रीय स्थान होगा उसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिये भी यही पशु मुख्य भूमिका में ला खड़ा किया जा सकता है। यह देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि कार्य में गाय-बैल की उपयोगिता से सभी परिचित हैं फिर गाय दूध का भी मूल स्रोत है और प्रायः हर भूगोलिक क्षेत्र में सुगमता से उपलब्ध है। जबकि भैंस भी दूध का स्रोत है परन्तु क्षेत्र में उपलब्धता नहीं है। इसलिये एक समय तक कृषि कार्य से जुड़े हर परिवार में गाय का होना अनिवार्य था। अब जब कृषि कार्य में बैल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है तो उसी अनुपात में आज हर घर में गाय नहीं है। लेकिन गाय का धार्मिक स्थान आज भी अपनी जगह कायम है। फिर ट्रैक्टर के चलने के साथ ही गाय पालन की अनिवार्यता पहले जैसी नहीं रह गयी है। जहां पहले हर घर में गाय होती थी आज उसका स्थान गोशालाओं ने ले लिया है क्योंकि गाय पालने के साधनों में कमी आती जा रही है। इसलिये आज आवारा पशुओं में भी गाय और बैल की संख्या बढ़ गयी है। डेयरी फार्मों में भी गाय का स्थान भैंस लेती जा रही है। इस परिदृश्य में गाय की व्यवहारिक उपयोगिता और गोरक्षा में कमी आने के कारण गाय की रक्षा एक समस्या बनती जा रही है। क्योंकि उपयोगिता और रक्षा एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं।

इसका दूसरा पक्ष है कि जब आप गाय को आवारा छोड़ रहे हैं तो फिर उसकी चिन्ता कौन करेगा। राजस्थान में एक सरकारी गोशाला में पांच सौ गायों का मरना इसी सत्य को प्रमाणित करता है। आज गाय की रक्षा चैरिटी से नहीं की जा सकती है। आज यहां एक साथ इतने पशु मर जायेंगे वहां पर उनका अन्तिम संस्कार क्या होगा? प्रत्येक मृत पशु का चमड़ा निकालना और उसका शोधान करके उसे उपयोग में लाना अपने में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। पहले समाज का एक वर्ग यह कार्य करता था। मृत पशु का चमड़ा और उसकी हड्डियां तक उपयोग में लायी जाती थी। संयोगवश चमड़ा निकालने का काम दलित वर्ग करता था लेकिन इस कर्म के लिये जब उसे हेय और अछूत माना जाने लगा तो इससे समाज में विवृतियां आनी शुरू हो गयी हैं। आज समस्या फिर वहीं खड़ी है कि जिन्दा पशु का चाहे वह गाय है या कोई अन्य पशु उसका पालन कौन करेगा? उसे आवारा तो नहीं छोड़ा जायेगा? फिर पशु के मरने के बाद उसका चमड़ा आदि निकालने का काम कौन करेगा या फिर मृत पशु का संस्कार क्या होगा और कौन करेगा? आज यह सामाजिक व्यवस्था तय करना आवश्यक है। इस व्यवहारिक पक्ष को नजर अन्दाज करके गोरक्षा के नाम पर समाज में बवाल तो खड़ा किया जा सकता है लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। आदमी की मृत्यु के पश्चात उसके अन्तिम संस्कार की रीति नीति तय है क्या उसी तर्ज पर हर मृत पशु के संस्कार की रीति नीति उसकी मरणोपरान्त उपयोगिता के आधार पर तय होना आवश्यक है। आज के अधिकांश गोरक्षक वह लोग मिल जायेंगे जिनके अपने घरों में गाय का पालन नहीं होता है। यह लोग हिन्दु धर्म में गाय के स्थान की व्यवहारिकता में रक्षा करने की बजाये उसके नाम पर समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक दण्डित किया जाना चाहिये। आज किसी भी गोरक्षक से पहला सवाल ही यह पूछा जाना चाहिये की गाय का अन्तिम संस्कार क्या और कैसा होना चाहिये तथा कौन करेगा।

हिमाचल में हरित आवरण वृद्धि के लिये एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

शिमला। सरकार प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखा जा सके। इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के तहत प्रदेश भर में औषधीय एवं चौड़ी पत्तियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को भोजन, चारा एवं ईंधन प्राप्त हो तथा मानव एवं प्रकृति के मध्य बेहतर संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार के इन्हीं प्रयासों के चलते भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा जारी वर्ष 2015 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वनों के कुशल संरक्षण एवं प्रबन्धन के परिणाम-स्वरूप प्रदेश में 13 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है जोकि एक अति सराहनीय प्रयास है। सरकार के प्रयासों व जन सहभागिता से यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। पौध-रोपण कार्यों के चलते हिमाचल की जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलना आरम्भ हो गया है। हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्रमाण करने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया है। इसके चलते प्रदेश को कार्बन क्रेडिट बतौर 1.93 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है, जिसे इस कार्य से जुड़े उपभोक्ता समूहों व पंचायतों में वितरित किया गया है।

सरकार प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सदैव संजीदा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 67वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर जिला बिलासपुर के नेरस में स्वयं पौधा रोपित कर प्रदेश में पौध-रोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नेरस के जंगलों में अर्जुन, हड़ड़, बहेड़ा और आंवला के पौधे रोपे गए। सरकार का वन महोत्सव मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग न केवल सामूहिक रूप से वनों के प्रति जागरूक हों, बल्कि पौधरोपण कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय कर 15,000 हैक्टेयर वन भूमि पर एक करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष 35 लाख औषधीय पौधे लगाए जाने की भी योजना है।

प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश के सभी स्कूलों व उनके द्वारा गठित 3000 युवा क्लबों द्वारा 12 अगस्त, 2016 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में पौधरोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा आमजन को वर्षा ऋतु में ऐसे पौधरोपण अभियानों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई है, ताकि प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

सरकार के हरित आवरण बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2013-14 में 1.66 करोड़ पौधे रोपित कर 17429 हैक्टेयर, वर्ष 2014-15 में 1.35 करोड़ पौधे रोपित कर 12730 हैक्टेयर तथा वर्ष 2015-16 में 1.22 करोड़ पौधे रोपित कर 11449 हैक्टेयर क्षेत्र को

वनो के अधीन लाया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में 45.30 लाख, वर्ष 2014-15 में 46.70 लाख तथा वर्ष 2015-16 में 43 लाख वनों के कुशल संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्यक्रम में चौड़ी पत्ती, जंगली फलदार व औषधीय प्रजातियों पर बल दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को पशुचारे के साथ-साथ जंगली फल व औषधी जैसी वन सम्पदा से सम्बन्धित स्वरोजगार भी प्राप्त हो सकें। इसके साथ ही गत वर्ष प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के किनारों पर मनरेगा कामगारों के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों जैसे शहतूत, जामुन, सूरु, शीशम, सफेदा, पीपल, देवदार, नीम इत्यादि के एक लाख पौधे रोपे गए हैं।

पौधों की जीवित प्रतिशतता बढ़ाने के लिए पौधरोपण के रख-रखाव की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तथा कैम्पा के तहत पांच वर्ष से सात वर्ष की गई है, साथ ही आरसीसी. फॉसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस प्रयोजन हेतु वनों का कटान न हो। प्रदेश को लैटाना जैसे खतरनाक खरपतवार से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2013-14 में 5 करोड़ रुपये व्यय कर 5000 हैक्टेयर वन भूमि, वर्ष 2014-15 में 16.48 करोड़ रुपये व्यय कर 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा वर्ष 2015-16 में 19.29 करोड़ रुपये व्यय कर 13,060 हैक्टेयर क्षेत्र को लैटाना मुक्त कर ईंधन, चारा के लिये उपयुक्त कर दिया जा रहा है।

प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया सरल की गई है, जिसके अंतर्गत एक हैक्टेयर तक वन भूमि स्थानान्तरण के मामले निपटाने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। इससे विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया सरल हुई है। इसी के परिणामस्वरूप गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान 202 विभिन्न विकासात्मक मामलों में 543.96 हैक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण किया गया, जिससे प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को एक नई दिशा

मिली है।

ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर तथा कांगड़ा जिलों में व्यापक वानिकी कार्य आरम्भ किए गए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत नाहन, बिलासपुर, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा जिलों में बांस प्रजाति के विकास के लिए वर्ष 2014-15 में 1.49 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में 1.29 करोड़ रुपये व्यय किए गए। मिशन के तहत इस वर्ष 3.24 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मैडिसिनल प्लांट बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा, ऊना चम्बा कुल्लू



सिरमौर, लाहौल-स्पीती व किन्नौर जिलों में वन औषधि सम्पदा के विकास के लिए 24 करोड़ की लागत से पांच परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं।

जर्मन सरकार तथा जर्मन विकास बैंक (के.एफ.डब्ल्यू) के सहयोग से जिला कांगड़ा व चम्बा में 310 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसे अप्रैल, 2015 से आरम्भ किया गया। परियोजना के तहत मिलने वाली दो मिलियन यूरो की ग्रांट के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हो गए हैं जिसे वन कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदायों के क्षमता विकास पर खर्च किया जाएगा। परियोजना के तहत गत वर्ष 2.40 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि इस वर्ष विभिन्न गतिविधियों पर 40 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

वानिकी एवं पर्यवरण संरक्षण सरकार के उचित मार्गदर्शन व जन-सहभागिता से ही सफल हो सकते हैं। इसलिए हम सब को यह प्रण लेना चाहिए कि वनों की बहुमूल्य धरोहर को न केवल मौजूदा पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजोए रखेंगे और इसका अवैध दोहन किसी भी व्यक्ति को नहीं करने देंगे। इस प्रयास से हम जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों को कम करने में भी सहयोगी बनेंगे, जो वैश्विक स्तर पर एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर रही है।

'भारत-छोड़ो': एक स्वतः स्फूर्त जनांदोलन

-रजनीश-

उमस भरी गर्मी के मौसम में 72 साल की मतगिनी हाजरा लोगों के एक बड़े हुजूम के साथ कचहरी और थाने को घेरने के लिए जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, ब्रितानी हुकूमत की जमीन दकती जा रही थी। एक बुजुर्ग महिला के साहस ने तामलुक प्रशासन को इस कदर कपा दिया कि उसे अपने बचाव में फायरिंग के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। पुलिस की फायरिंग ने मतगिनी हाजरा को शहीद जरूर कर दिया लेकिन इस बात की मुनादी भी कर दी कि ब्रितानी हुकूमरानों के पास अब 'भारत छोड़ो' ही अंतिम विकल्प था।

ब्रितानी हुकूमत के सामने सीना तान कर खड़े होने का यह कोई अकेला मामला नहीं था। इससे ठीक एक महीना पहले पटना में छात्रों की एक बड़ी भीड़ सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए 'करो या मरो' की जड़ के साथ गेट पर जमी थी। जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर की गयी पुलिसिया फायरिंग में सात छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। इन सातों में से चार नौवीं कक्षा के और दो दसवीं के छात्र थे। सिर्फ एक छात्र कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था।

ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यानी गुलामी के एहसास और उससे मुक्ति की लड़ाई लंबे समय तक चली लेकिन आंदोलनों में कई चरण ऐसे होते हैं तो पूरे आंदोलन के पर्याय के रूप में याद किए जाने लगते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन उन्हीं चरणों में एक है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि ब्रितानी सत्ता के खिलाफ संघर्ष का यह आखिरी बिगुल था जिसके बाद हुकूमरानों के सामने भारत छोड़ने और देश की सत्ता यहां के शासकों को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

'भारत छोड़ो' आंदोलन के तहत ब्रितानी साम्राज्यवाद के खिलाफ उभरी यह लहर समाज के सभी तबकों को एक ही तरह से सुलगा रही थी। अजमदाबाद में मिल-मजदूरों ने साढ़े तीन महीने तक हड़ताल रखी। बंबई में मजदूरों में एक सप्ताह से भी अधिक समय तक काम-काज ठप्प रखा। यही नहीं, जमशेदपुर में तेरह दिनों तक हड़ताल रही। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तरह-तरह के तरीके आजमाए। थाना, कचहरी, डाकघर, रेलवे स्टेशन समेत सभी किसिम के सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। सर्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। रेलवे की पटरियों और टेलीग्राफ-टेलीफोन के खंभों को उखाड़ डाला गया। इन संगठित संस्थानों के मजदूरों के अलावा देश भर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी अपने तरीके से हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल का मतलब वे अपनी रोजमर्रा के लिए रोटी की चिंता किए बगैर गुलामी की जंजीरों को फेंककर आजादी का एहसास करना चाहते थे।

दरअसल, अन्य आंदोलनों की तरह इस आंदोलन के लिए भी पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार थी। दूसरे विश्वयुद्ध की आग में दुनिया बुरी तरह झुलस रही थी। ब्रितानी हुकूमरानों ने भारत की भी इसमें लपेट लिया था। नतीजतन, जापानी हमलों का खतरा सिर पर मंडराने लगा था। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को अपने इस निर्णय में शामिल करने के उद्देश्य से हुकूमत द्वारा भेजा गया 'क्रिप्स मिशन' गुलामी के बोझ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बंधा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रोजगार-धंधों की हालत बतौर होती जा रही थी। ऐसे में, माहौल को भांपते हुए गांधीजी ने 26 अगस्त 1942 को 'हरिजन पत्रिका' में 'भारत छोड़ो' शीर्षक से एक लेख लिखा और

स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में कुछ प्रस्ताव पेश किये। यह आंदोलन के विस्तार का प्रभाव था।

अपनी कार्यसमिति की वर्धा बैठक में 14 जुलाई, 1942 को कांग्रेस पार्टी ने गांधीजी के सुझाव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंबई में संघर्ष के निर्णय पर मुहर लगाते हुए तत्काल प्रभाव से आंदोलन शुरू करने का एलान किया। इसी बैठक में बोलते हुए गांधीजी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। पहली बार उन्होंने अपनी अबतक की रणनीति 'संघर्ष-समझौता-फिर संघर्ष' से आगे बढ़ने का संकेत देते हुए 'स्वाधीनता' से कम कुछ भी नहीं का वादा किया। जाहिर था कि ब्रितानी हुकूमत पूरी ताकत के साथ प्रहार करती। 9 अगस्त 1942 की अहले सुबह सभी शीर्ष राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार कर लिया गया।

राजनेताओं की गिरफ्तारी ने जनमानस में घुमड़ रहे आक्रोश को उबाल दे दिया। पूरे देश में लोग स्वतः स्फूर्त रूप से सड़कों पर निकल आये। जगह-जगह लोगों ने अपने बीच से स्थानीय नेतृत्व विकसित किया और संघर्ष को परवान चढ़ाया। इतिहासकार बिपिन चंद्र के शब्दों में, शहरों-कस्बों से लेकर गांवों तक में लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। सरकारी

और पुलिस अधिकारियों को उनके घर-दफ्तरों से निकालकर पिटाई की गयी। सरकारी दफ्तरों, भवनों पर कब्जा जमाने से लेकर उन्हें आग के हवाले करने के नजारे सामने आये।

ऐसा नहीं है कि आंदोलन के दौरान



सिर्फ तोड़-फोड़ की ही कार्रवाइयां हुईं। इसके उलट, देश के कई हिस्सों, खासकर उड़ीसा, महाराष्ट्र और बंगाल, में स्वायत्त सरकारें स्थापित करने जैसा विशुद्ध राजनीतिक काम भी हुआ। मसलन, महाराष्ट्र में गांव के स्तर पर 'प्रति सरकार'

(समानान्तर सरकार) की स्थापना की गयी। यह 'प्रति सरकार' तीन विभागों से लेस थी। जन-अदालतों पर आधारित एक न्याय विभाग था जिसके फैसले सर्वसम्मति से लिये जाते थे। विभिन्न ग्रामीण समितियों से बना एक विभाग था

जिम्मेदारी किसानों को जमीनों के हाथों उत्पीड़न से बचना था। तामलुक में भी, 17 दिसंबर 1942 को अजय मुखर्जी ने एक 'राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने एक 'भगिनी सेना' के नाम से महिलाओं का एक विशेष संगठन बनाया। एक बात और, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को भूमिगत रूप से दिशा देने के लिए राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और सुचेता-पलानी जैसे समाजवादी विचार के नेताओं ने अपना सक्रिय योगदान दिया। फैलाव और तीव्रता के लिहाज से इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखा। इन इलाकों में लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से अपना योगदान दिया। आंदोलनकारियों को छुड़ाने की जगह देने से लेकर सदेशवाहक का कार्य कर लोगों ने परोक्ष रूप से भी अपनी भागीदारी दिखाई। इन कामों में महिलाओं और बच्चों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस आंदोलन की खासियत रही कि यह सांप्रदायिक-धार्मिक दंगों से मुक्त रहा और जनता द्वारा की गयी हिंसक प्रतिक्रिया के प्रति कोई आलोचनात्मक स्वर नहीं सुनाई दिया। नतीजतन, आजादी का लक्ष्य थोड़ा और करीब आता दिखा।

प्रसूका

गजलो-गीतों ने दिलाई आजादी

अनिल चमड़िया

शुभ सुख चीन की वर्षा बरसे ,
भारत भाग है जागा , पंजाब , सिंध ,
गुजरातर , मराठा , द्रविड़ ,
उत्कल -बंग/चंचल सागर ,विंध्य
हिमालय नीला यमुना गंगा.....। इसी
तर्ह वंदे मातरम शीर्षक वाले अज्ञात
गीतकार लिखते हैं कि सरचढ़ाओ को
तिर में चक्कर उस समय आता
जब , काम में पहुँची जहाँ झनकार
वन्दे मातरम। एक ही गीत से कई-कई
गीत निकलते रहे हैं। इन गीतों में एक
और विशेषता यह देखी जाती है कि हर
तरह के काम धंधे करने वाले लोगों के
अनुकूल गीत तैयार करने की कोशिश
की जाती थी। चकोर लिखते हैं कि
दुखिया किसान हम है , भारत को
रहने वाले . बंदम हुए , न दम है ,
बंमोत मरने वाले । आखिर पवित्र
में लिखते हैं-ए मौज करने वालों,
कर दंगे हथ्र बरपा , उभरे चकोर
जब भी , हम आह भरने वाले।

गीतों को ब्रिटिश सत्ता अपना सबसे
बड़ा शत्रु मानती थी। वह लड़ने वालों को
खिलाफ जेल , लाठी चोली का तो इस्तेमाल
करती ही थी वह गीतों को भी सलाखों
में डालने का इंतजाम करती थी। गीत
यानी कलात्मक तरीके से जमीनी हकीकत
को बयां करने और उसे लड़ने के लिए
प्रेरित करने वाली अभिव्यक्ति से घबराकर
ही सरकार ने एक कानून बनाया था जो
कि आज भी बरकरार है, जिसके तहत
गीतकारों , नाटककारों और दूसरे तरह
की साहित्यिक गतिविधियों में शामिल
होने वाले वाले रचनाकारों को जेल के
अंदर डाला जाता था और गीतों को जब्त
कर लिया जाता था। ब्रिटिश सत्ता ने जिस
अनुपात में लोगों को जेलों के भीतर
डाला उसी अनुपात में गीत भी जब्त
किए। इनमें एक गीत राम सिंह का है -
मरे पुत्रों को यह पैगम दे देना जरा
बंद , मर मिटो देश की खातिर ,
मरे लखते-जिगर बंटा। दूसरा गीत
कुंवर प्रतापचन्द्र आजाद का है
-बांधे तो बिस्तर , फिरंगी , राज
अब जाने को है , जुल्म काफी कर चुके ,
पब्लिक बिगड़ जाने को है।

प्रसूका

दुनिया में जब भी किसी ऐसे
आंदोलन को याद करते हैं जिन आंदोलनों
में मनुष्य अपने ऊपर थोपे गए कई
बोधनों से मुक्ति के लिए एकजुट होता
है तो उस आंदोलन का कोई न कोई
गीत याद आने लगता है। यही
वास्तविकता है कि कोई भी आंदोलन
गीतों के बिना पूरा नहीं होता है। काव्य
धारा के कई रूप हैं और वे कविता,
नज़्म , गजल , गीत आदि के रूप में
जाने जाते हैं। बल्कि यूँ भी कहा जाए
कि नारे भी अपनी काव्यत्मकता से ही
यादगार बन पाते हैं। ब्रिटिश सत्ता के
खिलाफ आंदोलनों के लिए न मालूम
कितने गीत लिखे गए। इस विषय पर
कई शोध हुए हैं लेकिन तमाम तरह के
शोधों के बावजूद ये लगता है कि वे
उन दौरान लिखे गए सभी गीतों को
समेत नहीं पाए।

आमतौर पर दो चार गीतों को
हम वोहराते हैं। उनमें उर्दू के प्रसिद्ध
शायर इकबाल का वह गीत जिसमें वे
कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा,
हिन्दोस्ताँ हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी,
ये गुलसिताँ हमारा। इसी हिन्दोस्ताँ को
हिन्दुस्तान के रूप में प्रचारित किया
गया है। इकबाल 1938 में ऐसे ही जोश
खरोश से भरे गीत लिखकर दुनियाँ से
विदा हो गए। दरअसल ब्रिटिश सत्ता के
विरोध में आजादी के संग्राम के गीतों
की ये विशेषताएँ थी कि उनमें सारे
समंदर पार के शासकों की ज्यादतियों
का एहसास कराया जाए। लेकिन इसके
साथ ये भी जरूरी था कि अपने भीतर
की अच्छाई और सुंदरता के विभिन्न
पहलुओं की तस्वीर लोगों के सामने
रखी जाए। इकबाल हिन्दोस्ताँ हमारा
गीत में ही लिखते हैं कि गोदी में
खेलती है उसकी हजारों नदियाँ,
गुलशन हैं जिनके दम से
रश्क-जिनाँ हमारा।

गुलामी का एहसास कराना,
स्वतंत्रता की चाहत पैदा करना,
स्वतंत्रता के लिए सामूहिकता की भावना
को भांपते हुए गांधीजी ने 26 अगस्त
1942 को 'हरिजन पत्रिका' में 'भारत
छोड़ो' शीर्षक से एक लेख लिखा और

कि आपस की दूरियों को दूर करना
और उन दूरियों को विविधता के रूप में
पहचान करारकर उन्हें अपनी ताकत
बताना, ये सब एक साथ जब कोई
रचनाकार करता है तो उसकी राष्ट्रीय
गीतकार के रूप में स्वीकार्यता हो जाती
है। केवल इकबाल अपनी रचनाओं में
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष और
अपने लोगों के बीच एकता विकसित
करने की चुनौती से नहीं जुझ रहे थे
बल्कि हर वह रचनाकार ऐसी चुनौती से
जुझ रहा था जो कि भारत को एक
लेकिन सभी भारतवासियों के राष्ट्र
के रूप में निखारने से नखाने देख रहा था।

वंशीधर शुक्ल लिखते हैं कि
बिस्मिल , रोशन , लहरी , मौँ . अशपाक
अली से वीर
आजादी लेने निकलें थें , फांसी चढ़ें
अखीर
शक्ति अनताली निकली । सिर बांधें
कफनवा।

कैप्टन राम सिंह लिखते हैं -
कदम कदम बढ़ाए जा
रघुजी को गीत गाए जा
यह जिवंदगी है काम की
तू काम पर लुटाए जा , बढ़ाए जा।

भारतीय समाज जातियों , धर्मों और
दूसरे तरह के आपसी विभाजनों से जुझता
रहा है। इन विभाजनों को दूर करने की
लड़ाई सदियों से होती रही है। भक्तिकालीन
साहित्य में भी यह चुनौती देखने को
मिलती है। ब्रिटिश सत्ता विरोधी आंदोलनों
के लिए लोगों को घरों से निकालना था
और उन्हें यह एहसास कराना था कि
इंसानी जिवंदगी समाज को जीवंत बनाए
रखने की शर्त के साथ जुड़ी है। इसीलिए
उस आंदोलन में शामिल होने वाला सैनानी
फांसी पर चढ़ते हुए भी लोगों के भीतर
गीत का भय नहीं पैदा करता था बल्कि
लड़ने के लिए प्रेरित करता था। इस तरह
की प्रेरणा केवल और केवल साहित्य ही
कर सकता है। कल्पना करें कि स्वतंत्रता
की लड़ाई की अगुवाई करने वालों के
साथ इन गीतों का साथ नहीं होता तो
लोगों को नौद से नखाने और सक्रिय
करना लगभग असंभव होता।

वंशीधर शुक्ल खूनी पर्या गीत में
कहते हैं कि -तुम्ही हिंद में सौदागर
आए थें दुकई खाने , मेरी वीलत
देख देख के , लगे दिनों में ललचाने,
लगा फूट का पेड़ हिंद में अग्नी
ईश्या बरसाने , राजाओं को मंत्री फोड़े ,
लगे फौज को भड़काने तेरी काली
करतूतों का भंडा फोड़ा करुणा ,
जब तक तुझको.....

स्वतंत्रता संग्राम की खास बात
यह देखी जाती है कि इसने घर-घर में
गीत-सैन्य तैयार किए। यानी हर घर में
गीत लिखने वाले सैनिक तैयार किए।
इसीलिए बहुत सारे गीत ऐसे मिलते हैं
जिनके रचनाकार के बारे में शोधकर्ताओं
को जानकारी नहीं मिलती। दरअसल
यहां सैनिक के रूप गीतकार का अर्थ
इसी रूप में लेना चाहिए कि जैसे सैकड़ों
सैनिक हथियारों से लड़ते-लड़ते शहीद
हो जाते हैं और उनके नाम सबकी जुबां
तक नहीं पहुँच पाते हैं। दरअसल यही
भावना होती है जो कि समाज में परिवर्तन
की लड़ाई को अंजाम देने और उनमें
सफलता की भावना को सुनिश्चित करती
है। एक अज्ञात रचना में गीतकार कहता
है कि उठो नौजवानों न रहने कसर
दो , विदेशी का अब तो बहिष्कार
कर दो , मुअस्सर जहाँ नहीं पेटभर
है दाना . गुलामी में मुश्किल हुआ
सर उठाना । रंग दे बसंती चोला ,
माथी नी रंग दे बसंती चोला वाला
जो गीत अक्सर जन भागीदारी वाले
कार्यक्रमाँ में सुनाई देता है उस गीत
ही कोई जानता हो। वास्तव में उस
रचना का रचनाकार अज्ञात है।

दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ
गीत लोगों को बीच लोकप्रिय है लेकिन
बहुत बड़ी संख्या में गीत हैं जिन्हें आमतौर
पर सुना व पढ़ा नहीं जाता है। आंदोलन
के गीतों की खासियत यह भी होती है
कि एक गीत कोई लोकप्रिय होता है तो
उसकी तर्ज पर कई-कई गीतों की
रचना आम लोग करने लगते हैं। मसलन
जन गण मन गीत की तरह ही एक
अज्ञात रचनाकार लिखते हैं कि

धूमल पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए: महेश्वर देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द स्थापित करने की मांग

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व उनके बेटों के भाजपा पर कब्जा कर देने से आहत होकर हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन कर प्रदेश में तीसरा विकल्प खड़ा करने का झंडा खड़ा करने का दम भरने वाले महेश्वर सिंह ने घर वापसी का एलान करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी धूमल व उनके बेटों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। महेश्वर सिंह ने 2012 में आरोप लगाए थे कि धूमल शासन में हिमाचल ऑन सेल है। भ्रष्टाचार के कई

सिंह ने कहा कि न्योता तो दिया है। जब किसी की शादी होती है तो बहुत से लोगों को न्योता दिया गया होता है, सब थोड़े ही आते हैं।

14 अगस्त को भाजपा में विलय कर रहे महेश्वर सिंह ने हास्यस्पद से कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हिलोपा का भाजपा के आधिकारिक तौर पर विलय नहीं हुआ है, ऐसे में वो अभी भी हिलोपा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के जो नेता समानांतर तौर पर पार्टी चला रहे हैं उन्हें उन्होंने

प्रस्तावों में दस्तखत है, जिसमें विलय के प्रस्ताव को पारित किया गया है। ऐसे में हिलोपा के नाम पर कोई बखेड़ा खड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नेताओं ने तय किया था हिलोपा को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करना चाहिए। सोलन के कुछ नेता आम आदमी पार्टी का ऑफर लिए थे लेकिन एक महीने तक कुछ नहीं तो फिर बीजेपी की ओर रुख किया गया।

उन्होंने कहा कि विलय से एक दिन पहले 13 तारीख को सभी हिलोपा के नेता बैठक करेगे।

उन्होंने माना कि वो प्रदेश में तीसरा विकल्प खड़ा करने में नाकाम रहे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अवसरवादी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में एडजस्टमेंट होती है। ये पूछे जाने पर कि वो भाजपा से जब बागी हुए थे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बाहर हुए थे, क्या अब बीजेपी भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि तुलनात्मक दृष्टि से बीजेपी में भ्रष्टाचार कम है। दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की बुरी हालत है। अगर कांग्रेस ठीक होती तो ये नौबत नहीं आती।

महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीधा हमला नहीं किया व कहा कि उनके सलाहकार सही नहीं हैं।

रघुनाथ मंदिर को सरकार के कब्जे में लाने के वीरभद्र सिंह सरकार के कदमों को लेकर महेश्वर सिंह ने कहा कि वो उनकी निजी संपत्ति है। वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री उनके छोटे भाई कर्ण सिंह मंदिर को सरकार के कब्जे में लाने के पक्ष में हैं। इस पर महेश्वर सिंह ने कहा कि कर्ण सिंह पर दबाव भी हो सकता है। कर्ण सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा जो धर्म में राजनीति घुसेड़ते हैं वो घटिया होते हैं।

शिमला/शैल। सांसद एवं वीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर देहरा

नेतृत्व वाली सरकार ने देहरा में 70 प्रतिशत बियास कैंपस और धर्मशाला में 30 प्रतिशत धीलाधार कैंपस के लिए जमीन दी थी जिसे केंद्र सरकार



में केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखने जल्द से जल्द रखने की मांग की।

इस मुलाकात में देहरा से विधायक एवं पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और बिलासपुर से विधायक रणधीर शर्मा मौजूद थे।

इस मुलाकात के संदर्भ में अनुराग ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मंजूर किया था और प्रदेश की तत्कालीन प्रो. प्रेम कुमार धूमल की

ने मंजूरी दी थी। लेकिन जैसे ही 2012 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस निर्णय को पलट दिया। इस वजह से केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से शाहपुर में अस्थायी कैंपस में चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

भारी बारिश के बीच सीटू ने तोड़ी धारा 144, पुलिस गायब, नार्मी रेस्तरां बंद

शिमला/शैल। जिला किन्तौर के शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पिछले पांच महीनों से चल रही हड़ताल व प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद

मजदूरों को रिहा करने की मांग को लेकर सीटू ने वीरवार को राजधानी में भारी बारिश के बीच धारा 144 को तोड़ते हुए एजी चौक से नाज होते हुए डीसी आफिस तक रैली निकाली। सीटू प्रमुख जगत राम व माकपा के पूर्व राज्य सचिव राकेश सिंघा की कमान में सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

ये पहली बार था कि राजधानी के मालरोड पर कोई प्रदर्शन पुलिस की गैर मौजूदगी में चलता रहा और सरेआम बिना किसी रोकटोक के धारा 144

कॉल दी गई थी। जिसके चलते राजधानी के नार्मी रेस्तरां अल्फा व बालजीज, ओबराय होटल समेत कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

रैली के बाद डीसी आफिस के बाहर आयोजित जनसभा में माकपा नेता सिंघा ने कहा कि नौकरशाह, नेता और ठेकेदार प्रदेश को बुरी तरह से लूटने में लगे हैं जबकि प्रदेश में काम कर रहे मजदूरों के हकों पर सरेआम झका डाला जा रहा है। शोंगटोंग के मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा जब उन्होंने वेतन के लिए आवाज उठाई तो उन्हें प्रदेश की विभिन्न जेलों में डाल दिया है। सिंघा ने कहा कि प्रदेश में मजदूरों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।

सीटू के मुखिया जगत राम ने



को तोड़ने दिया गया।

मजदूरों की मांगों को लेकर जब सीटू कार्यकर्ता धारा 144 तोड़ रहे थे तो शिमला पुलिस गायब हो गई। भारी बारिश के चलते सीटीओ से लेकर, स्कैंडल, रिपोर्टिंग रूम व नाज तक कोई भी पुलिस कर्मी कहीं नजर नहीं आया। आखिर में नाज से थोड़ा पहले कुछ पुलिस कर्मी नजर आए।

सीटू की ओर से शिमला बंद की

कहा कि मजदूरों की ये लड़ाई बंद नहीं होगी। वीरभद्र सरकार जितनी मर्जी जेलें भर लें। उन्होंने प्रदेश के मजदूरों का आह्वान किया कि वो शोंगटोंग के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए एकजुट हो जाएं। शोंगटोंग में मजदूर 148 दिनों से हड़ताल पर हैं लेकिन वीरभद्र सिंह सरकार मौन है।

सीटू के राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 13 से 15 अगस्त को सीटू के हमीरपुर में होने वाले राज्य सम्मेलन में शोंगटोंग के मजदूरों की लड़ाई को प्रदेशव्यापी बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे।

सीटू कार्यकर्ता भारी बारिश में छाते लिए रैली में डटे रहे।



आरोपों को लेकर वो उस समय भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के दरबार में भी गए थे। जब आलाकमान ने धूमल को खिलाफ कुछ नहीं किया तो उन्होंने कई बागी भाजपाइयों समेत हिलोपा खड़ी कर ली थी।

मीडिया से रूबरू हुए महेश्वर सिंह ने ये भी दावा किया कि विलय के लिए उन्हें भाजपा से ऑफर मिला था। महेश्वर सिंह ने कहा कि उनकी धूमल से कोई रंजिश नहीं है और 14 अगस्त को जब कुल्लू में हिलोपा का बीजेपी में विलय होगा तो वहां पर पार्टी के बड़े नेता शांता कुमार व जगत प्रकाश नड्डा भी होंगे। धूमल होंगे या नहीं इस पर महेश्वर

नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई चलाई जाए।

सोलन से महेश्वर नाथ सोफत और धर्मचंद गुलेरिया ने महेश्वर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है व हिलोपा पर अपना दावा पेश कर दिया है। महेश्वर सिंह ने इस बात का कहना कि उन्होंने सारे दस्तावेजों समेत चुनाव आयोग को भी अवगत करा दिया है कि जो नेता हिलोपा पर दावा पेश कर रहे हैं, उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हिलोपा का बीजेपी में विलय का फैसला बहुमत से लिया गया है, और जो पार्टी पर दावाकर रहे हैं उनके भी उन

हाइड्रो पावर डवलपर्स हिमाचल से पलायन की राह पर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में 25 मेगावाट से कम के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केंद्र व प्रदेश सरकार के कारनामों के चलते पलायन की राह पर हैं। आलम ये है कि 1995 से लेकर अब तक हिमाचल सरकार 651 छोटे प्रोजेक्ट आवंटित कर चुकी है इनमें से केवल 71 ही चल पाए हैं। बाकी के सरकार की नीतियों व फैसलों वजह से या तो क्लीयरेंस के जाल में फंसे हैं या कानूनों

गाइडलाइंस छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी लागू की जा रही है। ये छोटे डवलपर्स के नाइसामी है। छोटे डवलपर्स के लिए अलग गाइडलाइंस होनी चाहिए। राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले दो सालों से प्रोजेक्ट्स लगने की गति थम गई है।

डीएलसी हाइड्रो ने तीन प्रोजेक्ट्स लिए थे, दो तो चल पड़े लेकिन तीसरे की वैरिफिकेशन दो सालों से नहीं हो रही है। सीडीपीएल वालों ने बड़े प्रोजेक्ट्स लिए,



के फंदे में हैं।

इसके अलावा जो छोटे-छोटे पावर प्रोजेक्ट बन कर तैयार हो भी गए हैं, उनसे भी सरकार के अदारे बिजली नहीं ले सके पा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने जल्द ही बुनियादी ढांचा(सब-स्टेशन) की तैयारी नहीं किया है। ऐसे में करोड़ों का नुकसान जहां सरकार को हो रहा है वहीं डवलपर्स को भी हो रहा है। ये खुलासा यहा राजधानी में हिमाचल प्रदेश बोनाफाइडी डवलपर पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा व सलाहकार बृज मोहन स्वप्ना ने किया।

एसोसिएशन ने कहा कि जो गाइडलाइंस बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हैं वहीं

वो चले गए हैं। इसी तरह डीएलआई ने 27 प्रोजेक्ट्स लिए थे, दो तीन बना दिए बाकी के सारे सरेडर कर दिए गए हैं। मोजर जैसी बड़ी कंपनियां पलायन कर गई हैं और बाकी डवलपर्स नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में बार-बार बदलाव किया जा रहा है।

शर्मा ने प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार का बचाव करते हुए हिमाचल सरकार ने पॉलिसी में बहुत से बदलाव किए हैं लेकिन अब मोदी सरकार को इस मसले पर कई बदलाव करने होंगे।

राजेश शर्मा ने कहा कि छोटे डवलपर्स को प्रदेश में 1704 मेगावाट पावर बननी है। इसमें से 828 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए वन क्लीयरेंस के



70वें स्वाधीनता दिवस

के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई

“हमारी स्वाधीनता असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वतन्त्रता-सेनानियों के अनथक निःस्वार्थ संघर्ष का परिणाम है। हमें उनके देश-प्रेम और बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए समर्पण-भाव से कार्य करना चाहिए। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी।”

– कीरभद्र सिंह
मुख्य मंत्री, हि.प्र.



स्वाधीनता सेनानियों को रात-रात नमन!



राज्य की खुशहाली व विकास के लिए प्रतिबद्ध हिमाचल सरकार

– सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश.



हिलोपा के बागी

महेश्वर सिंह की हिलोपा का भाजपा से विलय हो गया है। इस विलय से पहले मोडिया से वार्ता करते हुए महेश्वर सिंह ने स्वीकार किया कि वह प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का राजनीतिक विकल्प खड़ा करने में असफल रहे हैं। इस वार्ता में उन्होंने यह दस्तावेजी प्रमाण भी मोडिया के सामने रखा जिससे पूरी हिलोपा ने एकमत होकर महेश्वर सिंह को पार्टीहित में कोई भी फैसला लेने के लिये अधिकृत किया था। लेकिन इस एकमत फंसले के बावजूद हिलोपा के कुछ नेताओं ने विलय के फैसले का विरोध करते हुए हिलोपा को बनाये रखने का फैसला लिया है। इन नेताओं ने महेश्वर के स्थान पर कांगड़ा के सुभाष शर्मा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिया है।

जब हिलोपा का गठन करके इसका प्रजीकरण करवाया गया था तब इसका मुख्यालय टिकु ठाकुर के आवास पर रखा गया था। हिलोपा के गठन में टिकु ठाकुर की केन्द्रिय भूमिका रही है। इस नाले कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गयी थी। चुनाव आयोग के पास भी वह पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी थे। चुनाव आयोग के साथ सारा पत्राचार उन्हीं के नाम से होता था। आधुनिक और चुनाव आयोग में समय-समय पर पार्टी से जुड़े कोई भी जानकारी फाईल करने के लिये भी वही अधिकृत थे। लेकिन टिकु ठाकुर और बालनाहटा हिलोपा के वह प्रमुख नेता थे जिन्होंने विधान सभा चुनावों के बाद पार्टी से किनारा कर लिया था। लेकिन जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के पास आज भी टिकु ठाकुर का आवास ही अधिकृत मुख्यालय है और वही अधिकृत कार्यालय सचिव है। वही पार्टी से जुड़े रिटर्न फाईल करने के लिये अधिकृत है और उन्होंने वॉकिंग रिटर्न दायर नहीं किये हैं। इसका पार्टी के प्रजीकरण और उससे संबद्ध मामलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

आज जो नेता विलय का विरोध करके नया अध्यक्ष चुन चुके हैं उन्होंने पार्टी की इस वैधानिक और तकनीकी स्थिति की ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया है? जब पार्टी कारगर विकल्प की भूमिका नहीं निभा रही थी तब इन नेताओं ने अपना रोष क्यों मुखर नहीं किया? कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने में इनका क्या योगदान रहा है? क्या एक समय पूरी हिलोपा के जरीवाल की आप में जाने का प्रयास नहीं कर रही थी? आज प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनमें एक विकल्प की अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन हिलोपा के विकल्प न बन पाने के लिये सभी एक समान जिम्मेदार नहीं हैं? आज हिलोपा के यह बागी क्या प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिला पायेंगे कि अभी चलकर और कोई विलय तो नहीं कर लेंगे? आज जनता तो विकल्प चाहती है परन्तु नेताओं के स्वार्थ से जनता का विश्वास टूटना जो रहा है। जनता नेताओं पर कैसे और क्यों विश्वास करे यही आज सबकी चिन्ता और चर्चा का विषय है।

शिमला सौन्दर्यकरण में

काम शुरू होने से पहले ही चर्च रिफेयर में हो गयी 5 करोड़ की बढ़ोतरी

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार एशियन विकास बैंक से कर्ज लेकर प्रदेश में हैरिटेज पर्यटन के लिये इन्फ्रस्ट्रक्चर खड़ा करने जा रही है। इस विकास के लिये 256.99 करोड़ का कर्ज लिया गया है और इसके लिये बिलासपुर में मार्कण्डेय और नैना देवी मन्दिर, ऊना में चिन्तपुरनी और हरोली, कांगड़ा में पौंग डैम, रनसेर तथा कासू टापू नगरोटा सुरिया धमेटा, ब्रजेश्वरी, चामुण्डा, ज्वालामुखी, धर्मशाला - मकलोगांज, मसर और नगरोटा बगवा, कुल्लू में मनाली का आर्ट एण्ड क्रफ्ट केन्द्र बड़ाया, चम्बा में हैरिटेज, सर्किट, मण्डी के ऐतिहासिक भवन और शिमला में नालदेहरा का ईको पार्क, रामपुर बुडौर तथा आस पास के मन्दिर तथा शिमला शहर में विभिन्न कार्य चिन्हित किये गये हैं। इस विकास के साथ हैरिटेज को जोड़ दिये जाने के कारण यह पूरा कार्य पर्यटन विभाग को ही सौंप दिया गया है। पर्यटन विभाग में इसके लिये

शिमला के सौन्दर्यकरण के तहत 13 मई तक की गयी थी जिनमें से अब मद संख्या 11 एसकेलेटरज और मद संख्या 12 यूटिलिटी सर्विसज को झप कर दिया गया है। शिमला में हो रहे कार्यों में कुछ प्रमुख कार्य हैं हैरिटेज के तहत आने वाले दोनो चर्चों की मूर्म्मत, मालरोड की मेटलिंग टारिंग, पांच रेन शैल्टरों का निर्माण और नगर निगम के मुख्यालय टाऊन हाल की रेस्टोरेशन। इन कार्यों पर किये जाने वाले निवेश का आकलन भी तीन किश्लो में किया गया है। इन कार्यों को अंजाम देने के लिये आठ कन्सलटेन्ट भी नियुक्त किये गये हैं। जिन्हें 14.2014 से 31.3.2015 तक फीस के रूप में 4,29,21,353 रुपये अदा किये गये हैं।

चर्चों की मूर्म्मत को लिये ADB LOAN-NO. 3223 IND, IDIPT-H.P. किश्ल तीन में 12.40 करोड़ के निवेश का आकलन है। लेकिन इसी मूर्म्मत को लेकर 27.2.16 को एक प्रकाश संयुजल

- ♦ माल रोड स्टोरेशन 23.73 करोड़ से हुआ 33.89 करोड़
- ♦ चर्च रिफेयर 12.40 करोड़ से बढ़कर 17.52 करोड़
- ♦ टाऊन हाल में लगी केवल 13,74,929 रुपये की लकड़ी
- ♦ वर्मा ट्रेडिंग को नहीं हुई लकड़ी की पेमेंट
- ♦ महापौर संजय चौहान ने भेजी ए.डी.वी. के मिशन डायरेक्टर को शिकायत

एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग से लगाया गया है। जिस अब लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त ईडनसी एसपी नेगी भी सहयोग दे रहे हैं। यह सारा कार्य अप्रैल 2014 में शुरू हुआ था और 2017 तक पूर्ण किया जाना है। एशियन विकास बैंक से लिये गये कर्ज से केन्द्र सरकार की भी ओर भागीदार हैं। इस कार्य को अंजाम दे रहे ठेकेदारों पर आयत होने वाले सारे कर भी राज्य सरकार ही अदा करेगी।

पर्यटन के विकास के लिये एक मुश्त शुरू होने वाली इस बड़ी योजना की कार्यशैली पर नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने एशियन विकास बैंक के मिशन डायरेक्टर को 27.6.2016 को पत्र लिखकर गंभीर शकाए व्यक्त की हैं। बैंक के मिशन डायरेक्टर ने शिमला में इस योजना को अंजाम दे रहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज शर्मा को 6 जुलाई को पत्र भेजकर नगर निगम के मेयर की शकाओं से अवगत भी करवा दिया है। लेकिन इस पत्राचार का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। स्मरणीय यह कि शिमला के लिये सौन्दर्यकरण की इस योजना का प्रारूप मूल रूप से नगर निगम प्रबन्धन ने ही तैयार किया था और इस पर निगम के हॉऊस से भी स्वीकृति करवा ली थी लेकिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दे दी गयी है। परन्तु शिमला के सौन्दर्यकरण के लिये कहाँ पर क्या काम करवाया जानातक हुआ था। उसकी मूल जानकारी शिमला नगर निगम को ही है। संभवतः इसी जानकारी के कारण आज इस कार्य की गुणवत्ता और इस पर हो रहे निवेश पर एक साथ सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

पिछले दिनों रोड्डू में एक आयोजन के मौके पर मुख्यमन्त्री ने ठेकेदारों की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े किये थे। ठेकेदारों पर सरकार और प्रदेश की जनता को लूटने का आरोप लगाया था। मुख्यमन्त्री का यह आरोप शिमला के सौन्दर्यकरण के नाम पर हो रहे कार्यों को देखकर सही प्रतीत होता है। नगर निगम द्वारा पारित प्रारूप के अनुसार

ने जो आर टी आई के तहत सूचना हासिल की है उसमें यह आकलन 17.52 करोड़ काग गया है। इस कार्य के लिये पर्यटन विभाग चर्च कमेटी के बीच चर्चे अनुबन्ध के मुताबिक सितम्बर 2016 तक यह कार्य पूरा होना है। अभी तक यह काम शुरू भी नहीं हुआ है और इसकी लागत में पांच करोड़ की बढ़ोतरी हो गयी है। पांच रेन शैल्टरों की निर्माण लागत का आकलन 3 करोड़ काग जा रहा है। मालरोड की रेस्टोरेशन का आकलन ADB LOAN NO 2676-IND किश्ल एक में 23.73 करोड़ है और किश्ल तीन में यह आकलन 33.89 करोड़ दिखाया गया है। टाऊन हाल की मूर्म्मत का आकलन किश्ल एक के मुताबिक 8.02 करोड़ है। टाऊन हाल के निर्माण का काम एक अभी राम इन्फ्र प्रोजेक्ट प्राईवेट लि. को दिया गया था। अभी राम इन्फ्र ने इस काम के लिये शिमला स्थित वर्मा ट्रेडिंग कंपनी से लकड़ी की खरीद की। टाऊन हाल का काम इस कंपनी को सितम्बर 2014 में अवाई हुआ और इसने जनवरी 2016 में वर्मा ट्रेडिंग कंपनी से लकड़ी की खरीद की। कुल 13,74,929 रुपये की लकड़ी इस काम के लिये खरीदी गयी और इस पैसे की वर्मा ट्रेडिंग को अदायगी भी नहीं की गयी है। वर्मा ट्रेडिंग ने यह शिकायत भी नगर निगम के मेयर से की है। उसे यह जानकारी ही नहीं है यह काम नगर निगम की बजाये मुख्यमन्त्री का पर्यटन विभाग करवा रहा है।

शिमला में हो रहे कार्यों का मूल प्रारूप नगर निगम में तय हुआ था इसलिए निगम के महापौर और अन्यो की नजर इस पर बनी रही। जिसके चलते महापौर ने इसकी शिकायत एशियन विकास बैंक के मिशन डायरेक्टर तक कर दी। इस काम से जुड़े दस्तावेज शिकायत की प्रमाणिकाओं की पुष्टि करते हैं। इसी तर्ज पर यदि अन्य स्थानों पर हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाये तो उनमें भी ऐसी ही स्थितियाँ सामने आने की पूरी-पूरी संभावना है।

Sl. No.	Name of the subproject	District	Package No.	Contract Cost INR (Crores)	Status
Civil Works					
1	Circular Road 1km long at Naina Devi	Bilaspur	HPDDB/1/1	2.41	Completed
2	Car Parking at Naina Devi	Bilaspur	HPDDB/1/2	3.03	To be completed by 2016
3	Integrated parking, interpretation Centre and look at Chintpurni complex at Chintpurni	Una	HPDDB/2/1	39.85	To be completed by 2017
4	Rest sheds, toilet facilities and view points along path from T12 to Temple at Chintpurni	Una	HPDDB/2/2	0.87	To be completed by 2016
5	Information Centre at Pong Dam	Kangra	HPDDB/3/1	1.30	Completed
6	Parking, and toilet facilities at Pong Dam	Kangra	HPDDB/3/2	0.84	Completed
7	Camping facilities, with provisions for 10 tents, including toilets etc. at Pong Dam	Kangra	HPDDB/3/3	0.74	Completed
8	Jetty development at Pong Dam	Kangra	HPDDB/3/4	0.69	Completed
9	Landscaping, Signage, and Allied Civil and Electrical Works near Pong Dam	Kangra	HPDDB/3/5	0.50	To be completed by 2016
10	Redevelopment of Forest rest house - Raniser Island	Kangra	HPDDB/4/1	0.38	To be completed by 2016
11	Jetty development at Raniser and Karu Island	Kangra	HPDDB/4/2	2.02	To be completed by 2016
12	Trails around the Raniser and Karu Island - 4km	Kangra	HPDDB/4/3	0.22	To be completed by 2016
13	Landscaping, planting along the peripheral trail and directional signages at Raniser and Karu Island	Kangra	HPDDB/4/4	0.26	To be completed by 2016
14	Watch towers, for bird watching, in Karu Island	Kangra	HPDDB/4/5	0.23	To be completed by 2016
15	Development of camping sites at Nagrota Surjan	Kangra	HPDDB/5/1A	1.26	To be completed by 2016
16	Forest rest houses improvement and camping sites at Dharmata	Kangra	HPDDB/5/1B	0.90	Completed
17	Parking for 100 vehicles at Bajeshwari temple, Kangra	Kangra	HPDDB/6/1	3.75	Completed
18	Shimla Mail Road Restoration Project	Shimla	HPDDB/6/1A	23.73	To be completed by 2016
19	Rehabilitation of Town Hall, Shimla	Shimla	HPDDB/6/1B	~ 6.02	To be completed by 2016
20	Multilevel Car Parking with Civic Amenities at Tulikandi, Shimla	Shimla	HPDDB/6/10	66.65	To be completed by 2017

Annexure 2

102001 1

ADB Loan 3223-IND, IDIPT-HP
List of Subprojects for Tranche 3 - Himachal Pradesh
Infrastructure Development Investment Program for Tourism (IDPT-HP)

No	Project	Package Number	District	Contract Cost / Tentative Cost with Contingencies INR - Crores	Status
Civil Works					
1	Rejuvenation of the Markandeya Temple Precinct and Provision of Visitor Facilities, Bilaspur	HPDDB/1/1/1	Bilaspur	8.34	To be awarded
2	Development of a Heritage Circuit: Conservation of Historic Buildings Integrated With Provision of Visitor Facilities, Chamba	HPDDB/1/2/1	Chamba	11.24	To be awarded
3	Upgrading the Historic Urban Precincts and Creating a Heritage Circuit, Jwalaji Town	HPDDB/1/3/1	Kangra	32.52	Contract awarded, work in progress
4	Conserving Prominent Temple Precincts and Upgrading Urban Infrastructure for Tourism in Dharmata and Moleodanj	HPDDB/1/3/2	Kangra	33.76	Contract awarded, work in progress
5	Restoration and Conservation of Rock Cut Temple, Masoor	HPDDB/1/3/3	Kangra	1.68	To be awarded
6	Restoration and Improvement of Chandra Temple and Bajeshwari Temple Precinct and Creation of Cultural Centre for Traditional Crafts and Arts at Nagrota Surjan, Kangra	HPDDB/1/3/4	Kangra	12.81	To be awarded
7	Construction of Dock at Pong Dam, Kangra	HPDDB/1/3/5	Kangra	1.00	To be awarded
8	Creation of Centre for Traditional Arts & Crafts at Badagan near Manali	HPDDB/1/4/1	Kullu	39.80	Contract awarded, work in progress
9	Conservation and Upgradation of the Historic Urban Precincts & Buildings in Mandi Town	HPDDB/1/5/1	Mandi	33.25	Contract awarded, work in progress
10	Conservation of Churches in the Heritage Zone, Shimla	HPDDB/1/6/1	Shimla	12.40	To be awarded
11	Restoration of Shimla Mail Road Extension	HPDDB/1/6/2	Shimla	33.89	Contract awarded
12	Tourism Park Center at Shimla	HPDDB/1/6/3	Shimla	20.52	To be awarded
13	Eco-tourism Park at Naldhera, Shimla	HPDDB/1/6/4	Shimla	8.45	To be awarded
14	Restoration and Beautification of Ancient temples and Surrounding areas at Ramnagar Buzhar, Shimla	HPDDB/1/6/5	Shimla	6.00	To be awarded
15	Creation of Cultural Centre for Traditional Crafts and Arts at Haroli, Una	HPDDB/1/7/1	Una	3.75	To be awarded

महापौर का पत्र

Sanjay Chauhan
Mayor
Municipal Corporation Shimla



Office : 2812380
Resid. : 0177-2620007
Mobile : 94180-22007
E-mail : mayor.mcs@hp.gov.in
"ASHIAN" Panthaghat,
Kasumpti, Shimla-171009

Ref. No. : MC/PM/4/4/16-S
Date : 27.6.2016

Dear Mr. Leonardus Bosman,

As you are aware of the facts that Asian Development Bank (ADB) is funding for "Shimla Beautification Plan", which has been passed by the Municipal Corporation Shimla. This project is running into some strong criticism from various sections of the society. There are large number of anomalies being committed in the execution of this project that pertain to addition, alteration and moving away from the main project. Even quality of the work has been put under cloud by various stakeholders.

You are requested to make it convenient to visit Shimla personally so that matter can be discussed and to take the spirit of this project of "Shimla Beautification Plan" in a right earnest.

Yours

(Sanjay Chauhan)

Mr. Leonardus Bosman
Country Director,
India Resident Mission,
Asian Development Bank
4 San Martin Marg,
Chakraborty Puri, New Delhi-110021 (India)